न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
34/2013 वाद पत्र	01.04.2013	13.08.2019

उनवान

भंवरसिंह पिता किशनसिहं राजपूत निवासी बेसकी (फतहपुरा) तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. सरपंच ग्राम पंचायत बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा
3. भगवान सिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी बेसकी (फतहपुरा) तहसील शाहपुरा
4. भोपाल सिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी बेसकी (फतहपुरा) तहसील शाहपुरा
5. चान्दकंवर बेवा किशन सिंह राजपूत निवासी बेसकी (फतहपुरा) तहसील शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा, श्री सुनील कुमार शर्मा :– अभिभाषकगण – वादी

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– वादी द्वारा न्यायालय हाजा में एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का बोरडा बावरियान में वादी व उसके परिजनों के नाम आराजी नम्बर 298 रकबा 0.72 हैक्टेयर, 297 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर, 300 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि है। भूमि वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी थी। लेकिन उनका हक समाप्त कर बिना किसी सूचना के आबादी में पंचायत के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादीगणों को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। वादीगणों की उपरोक्त कृषि आराजीयात जिसके भू–प्रबन्ध के पूर्व के नम्बर 182/2 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किशनसिंह, भगवानसिंह, भोपालसिंह, पिसरान अमरसिंह के नाम खातेदार मे दर्ज थी तथा वादग्रस्त आराजीयात पर वादी व उसके परिजनों का कब्जा काश्त निरन्तर था और वर्तमान में भी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की उपरोक्त मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि आराजीयात से वादी व उसके परिजनों को बेदखल करने पर आमदा है। इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या 2 ने मोके पर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 25.03.2013 को निर्माण कार्य करने का प्रयास किया। तत्पश्चात् वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किए जा रहे विधि विरूद्ध कृत्य

पृष्ठ 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

बाबत् एक पंजीबद्ध सूचना पत्र प्रेषित किया। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विधि विरूद्ध कृत्य करने से नही माने। तत्पश्चात् वादी द्वारा विचाराधीन वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 298 रकबा 0.72 हैक्टेयर, 297 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर, 300 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि जिसमें वर्तमान प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कर लिया है। उसे हटाकर पुनः वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के नाम बेहैसियत खातेदारी के दर्ज किये जाने की डिक्री जारी फरमावें तथा साथ ही निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात की भौतिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें व वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित न करें।

उक्त वाद वादी द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात् वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादीगणों के सम्मन बाद तामिल न्यायालय को प्राप्त हुये। बावजूद तामिल के प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 दिनांक 30.04.2013 को उपस्थित नही हुए। इसी लिए प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2013 को एकतरफा कार्यवाही करने का ओदश पारित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25.06.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। इसलिए दिनांक 25.06.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य में वादी स्वयं पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित हुआ तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 नक्शा वर्तमान, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2067–2070, प्रदर्श 3 मिलान खसरा, प्रदर्श 4 नक्श ट्रेस साबिक, प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2039–2042, प्रदर्श 6 नामान्तरकरण संख्या 126, प्रदर्श 7 सूचना पत्र कार्यालय प्रति को न्यायालय के दृष्टि पटल पर प्रदर्शित करवाया गया। वादी की ओर से दिनांक 04.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगणों की ओर से कोई उपस्थित नही इसलिए वादी की एकतरफा बहस सुनी गई व प्रस्तुत दस्तावेजों का समग्र रूप से अवलोकन किया गया। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 182/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का बोरडा बावरियान वादी के पूर्वज किशनसिंह, भगवानसिंह भोपालसिंह पिसरान अमरसिंह राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। जमाबन्दी संवत् 2039–2042 प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 182/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वादी के पूर्वज किशन सिंह, भगवानसिंह, भोपालसिंह, पिसरान अमरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है। मिलान खसरा प्रदर्श 3 के अवलोकन से आराजी संख्या 182/2 के हाल नम्बर 297, 299 व 300 बनना पाया गया। उक्त आराजी दौराने सेटलमेन्ट सरकारी सिवाय चक खसरा नम्बर 299 व 300 के रूप में दर्ज होना पाया जाता है एव इसके बाद ग्राम पंचायत बोरडा बावरियान के हक में आबादी हेतु आवन्टन पाया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 04.02.2011 प्रदर्श 6 आबादी भूमि का अमल राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना पाया गया है। समग्र अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

विवादित साबिक आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के पिता के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रही होना प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है। सामग्र अवलोकन से यह प्रमाणित है कि ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का बोरड़ा बावरियान में स्थित हाल आराजी संख्या 299 व 300 साबिक आराजी नम्बर 182/2 से बनना पाया गया। हाल आराजी संख्या 299 व 300 पर वादी ने अपना कब्जा होना जाहिर किया, इस हेतु दिनांक 04.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र भी इस आशय का वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वादी ने यह भी निवेदन किया कि हाल आराजी संख्या 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 300 रकबा 0.87 हैक्टेयर मे आराजी संख्या 299 में सम्पूर्ण रकबा एवं आराजी संख्या 300 में प्रदर्श 1 के अनुसार आराजी संख्या 300 के बेदिशा पश्चिमी ओर 0.47 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है। एवं इसी अनुसार आराजी संख्या 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 300 में बेदिशा पश्चिम के 0.47 हैक्टेयर कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र के समग्र अवलोकन से साबिक आराजी नम्बर 182/2 के हाल नम्बर 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 300 के 0.47 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को घोषित किया जाना उचित समझता हूँ। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का बोरडा बावरियान में स्थित हाल आराजी संख्या 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 300 रकबा 0.87 हैक्टेयर में से आराजी के पश्चिमी हिस्से का 0.47 हैक्टेयर भूमि कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम पंचायत बोरडा के नाम को हटाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का नाम बेहेसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर इसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि बादग्रस्त आराजीयात 299 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं 300 का 0.47 हैक्टेयर कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व अपने नोकरों, एजेन्टों से किसी प्रकार की बाधा नही पहुचावे। डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाडा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा, (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक R.A.S.

श्री भंवरसिंह S/o किशनसिंह राजपूत निवासी - बेरडी (फतहपुरा) तह०-शाहपुरा

बनाम श्री 1- तहसीलदार शाहपुरा
2- सरपंच ग्राम पंचायत बोरड़ा बावरियान
3- भगवान सिंह S/o अमरसिंह राजपूत निवासी बेरडी (फतहपुरा)
4- गोपाल सिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी -बेरडी (फतहपुरा) तह० शाहपुरा
5- चान्द कुंवर बेवा किशनसिंह राजपूत निवासी बेरडी (फतहपुरा) तह०-शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 R.T. Act

मुकदमा नम्बर 34 [illegible] सन् 2013 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :- वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, इन्द्राज दुरस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का बोरड़ा बावरियान मे स्थित हाल आराजी संख्या 299 रकबा 1.00 है० एवं आराजी संख्या 300 रकबा 0.87 हेक्टर में से आराजी के पश्चिमी हिस्से का 0.47 हेक्टर भूमि कुल रकबा 1.47 हेक्टर का खातेदार-काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत पॉच को घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड मे xx- निज मुवलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख दे सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 08 सन् 19

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(मोहर: अधिकारी ...)

Scanned by CamScanner

XX- प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम पंचायत बोरड़ा के नाम को हटाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर इसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात 299 रकबा 1.00 हैक्टर एवं 300 का 0.47 हैक्टर कुल रकबा 1.47 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के उपयोग-उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व अपने नोकरो एजेण्टो से किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचावे।

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner